$3\frac{1}{20}$ | पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित।
तहसीलदार अनूपगढ़ से संबंधित पक्षकारों की
वादग्रस्त भूमि के संबंध में विभाजन प्रस्ताव
प्राप्त हो चुका है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 तथा
के विरुद्ध पूर्व में ही एकपक्षीय कार्यवाई के

Scanned by CamScanner

व	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	जारी तामिल कर नम्बर / दिनांक

आदेश जारी किए जा चुके हैं एवं प्रतिवादी संख्या 5/1 एवं 5/2 के ~~[illegible]~~ अभिभावक न्यायालय के समक्ष उपसंजात नहीं हैं। अतः तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को अंतिम मानकर न्यायालय की राय में अंतिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित है।

फलतः तहसीलदार अनूपगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्तावानुरूप अंतिम डिक्री जारी की जाती है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जावेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर) 3/1/2020

Scanned by CamScanner